# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 07/2024
   उनवान : ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, पंचायत समिति जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

श्रीमती संजू देवी अग्रवाल पत्नी श्री मनीष कुमार अग्रवाल, निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

3. प्रकरण संख्या : 16/2024
   उनवान : रामावतार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री औंकारमल उर्फ उंकार मल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हिंगोनिया जिला जयपुर ग्रामीण हाल निवासी 111/419 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।

–निगरानीकार

बनाम

1. श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, जरिए सरपंच।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री रतन लाल गौड निगरानीकार की ओर से एवं अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री प्रभुसिंह राजावत गैर निगरानीकार की ओर से।

## निर्णय

## निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 07/2024 एवं 16/2024 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा संकल्प संख्या 4(4) दिनांक 20.08.2009 की पालना में जारी पंट्टा संख्या 33 दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध विचाराधीन है। उक्त दोनों निगरानीयों का मुख्य विवाद्यक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार संजू देवी ने दिनांक 22–09–2008 को ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ में पट्टा देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निर्मित मकानों को 100–150 वर्ष पुराने बताया है जबकि स्वयं पंचायत ने निर्मित मकान 50–70 वर्ष पुराने माने हैं। कानून का सामान्य नियम है कि किसी संपत्ति का मालिकाना हक अन्य के नाम हो जैसा

कि इसी प्रकरण में श्रीपाल अग्रवाल ने शपथ पूर्वक यह कथन किया है तथा यह भी अंकित किया है कि यह संपत्ति उसके पास बंटवारे में आई हुई है। ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पर संजू देवी का कोई हक अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत में श्रीपाल अग्रवाल के शपथ पत्र को सही मानकर फैसले के अंत में इबारत भी जोड़ी है कि "पत्रावली नंबर से कम होकर कागजात दफ्तर दाखिल हो। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार परिवार का कोई भी हकदार शेष रह गया है तो इस भूखंड के पट्टे का हकदार होगा।" यह इबारत बाद में जोड़ी हुई लगती है क्योंकि यह इबारत पत्रावली दाखिल दफ्तर होने की अंतिम लाइन के बाद जोड़ी गई है। सरपंच की मोहर भी लगा दी गयी थी, जिसको काटकर पुनः हस्ताक्षर किये गये हैं। श्रीपाल का शपथ पत्र ही दिनांक 1 दिसंबर 2009 के बाद का है तो उस शपथ पत्र के आधार पर पंचायत ने दिनाक 20 अक्टूबर 2009 को ही वह इबारत कैसे लिख दी। ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने भाई बन्धुओं के बंटवारे के मकानात का पट्टा संख्या–33 श्रीमती संजू देवी पत्नी मनीष कुमार एवं पट्टा संख्या– 32 मनीष कुमार पुत्र श्रीपाल अग्रवाल अर्थात पति पत्नी के नाम से जारी किया है, दोनो पट्टों में ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने आदेश पारित किये हैं। गैरनिगरानीकार पक्ष के श्री मनीष अग्रवाल ने द्वैषी भावना से प्रार्थी/निगरानीकार के पिता श्री औंकारमल के नाम से 70 साल पहले जारी किये गये पट्टे को निरस्त कराने के लिए न्यायालय ए. डी. एम. प्रथम जयपुर की अदालत में निगरानी संख्या–240/2022 प्रस्तुत की गयी थी। गैरनिगरानीकार पक्ष की उक्त निगरानी को न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को सारहीन होने से खारिज कर दिया गया है। पट्टा संख्या– 33 एवं पट्टा संख्या– 32 के आवंटन पत्रों के साथ संलग्न नक्शों में चौक व रास्ते की भूमि को चबूतरे की भूमि भी बता कर शामिल किया गया था, लेकिन मौके पर कोई चबूतरे नहीं थे। आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2008 को पेश किया गया जिस पर रसीद सं. 76/46 दिनांक 22.09.2008 के अनुसार 60 रू. जमा होना अंकित है, परन्तु कार्यवाही लगभग 11 माह बाद दिनांक 20.08.2009 से शुरू हुई लगती है। सरवर्क में दर्ज विवरण अनुसार दायर दिनांक 20-08-2009 को जबकि फैसला फार्म में ग्रा. पं का निर्णय दिनाक 20-10-2009 अंकित है जो विरोधाभासी है। पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट में पंचों ने स्वयं का कोई नक्शा नहीं बनाया, जिससे मौके की सही नाप जोक नहीं आ सकी। लेकिन चबूतरे दर्शाई गई भूमि जो सरकारी चौक व आम रास्ते की थी, का पट्टा जारी नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई है। लेकिन गैर निगरानीकार पक्ष द्वारा मिलीभगत करके नियुक्त पंचायत आदेश के विरुद्ध जाकर अपने हितबद्ध और मिलने वाले लोगों से मौका रिपोर्ट कराई गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा तय पंचगण मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर वाले पंचगण नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 6 पंचगण को मौका कमीशन रिपोर्ट देने हेतु बनाया गया था जबकि उक्त मौका कमीशन में तय किये गये पंचगणों में से केवल दो के ही हस्ताक्षर हैं और श्री गोमा राम नये पंच के हस्ताक्षर है जो पंचायत के आदेश से भिन्न पंच के रूप में किये हुए हैं। उक्त कार्यवाही का ग्राम पंचायत की बैठक में बाद में भी कभी भी अनुमोदन नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम, कोई दिनांक व समय, मौका मुआयना करने वाले किसी भी पंच का नाम आदि अंकित नहीं है और बी.डी.ओ. का नाम, तिथि व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि की बिक्री पंचायत द्वारा करने अथवा नहीं करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं है। आपत्ति नोटिस पर कोई क्रमाक अंकित नहीं है। उक्त पट्टे के संदर्भ में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिद एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच दल एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश दिनांक 22-02-2024 द्वारा निगरानीधीन

District Magistrate-III

रिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त करने के आदेश जारी किये हुए हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा संख्या– 33 निर्णय दिनांक 20/10/2009 व इससे संबंधित सम्पूर्ण आदेश कार्यवाही निरस्त फरमावें।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित है कि निगरानीधीन आदेश व पट्टा की नकल के लिए आवेदन प्रार्थी ने पूर्व में ही गैरनिगरानीकार संख्या 3 के समक्ष प्रस्ततु कर दिया था, परन्तु ग्राम पंचायत हिंगोनिया के लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को सपूर्ण नकल नहीं दी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20–09–2023 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में शिकायत प्रस्तुत की गई। आयुक्त एव शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जांच दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एवं अवैध मानकर आदेश दिनांक 22–2–2024 के माध्यम से कार्यवाही की गई है, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। प्रार्थी को अंतिम बार दिनांक 03–05–2024 को पूर्ण सूचनाएं सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसकी पूर्ण जानकारी होने पर निर्णय व पट्टा की जानकारी की दिनांक 03–05– 2024 से भी निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। निगरानीधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा नियम विरूद्ध और बिना क्षेत्राधिकार के है, जो शून्य है तथा कानून के विरूद्ध है. इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध निगरानी की कोई मियाद नहीं होती है। वैसे भी विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है, क्योंकि निगरानीधीन आदेश व पट्टा प्रथम द्रष्टा ही शून्य है। अन्त में निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 की प्रमाणित प्रति व अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये तथा मूल रिकोर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभु सिंह राजावत ने वकालतनाम पेश किया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। श्री रामावतार शर्मा राजकीय लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, जिनके द्वारा ऐसा करना खेद का विषय होना अंकित किया है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या–1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टों के आधार पर बिना किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। जो 15 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य

विक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी का कब्जा ना हो। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त पट्टे की भूमि पर पिछले 500 वर्षों से पूर्वजों की आवासीय पैतृक हवेली बनी हुई है। जिसमें विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि पूर्व में निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। क्योंकि, निगराधीन पटटा विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया था। जिसकी जानकारी नहीं होने का तथ्य गलत है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। जिससे प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत्त होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी/गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 खारिज किया जाकर मूल अपील को मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। निगरानीकार रामावतार शर्मा की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि दिनांक 22.09.2008 को संजू देवी ने पट्टा बनवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में निर्मित मकान को 100–150 वर्ष पुराने बताया है जबकि स्वयं पंचायत ने निर्मित मकान 50–70 वर्ष पुराने माने हैं। जबकि श्रीपाल अग्रवाल का कथन है कि वह स्वयं इन मकानों पर काबिज है तथा बंटवारे में आए हुए है। आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनियां को पेश किया गया जिस पर रसीद सं. 76/46 दिनांक 22.09.2008 के अनुसार 60 रू. जमा होना अंकित है, परन्तु कार्यवाही लगभग 11 माह बाद दिनांक 20.08.2009 से शुरू हुई। पत्रावली नंबर से कम होकर कागजात दफ्तर दाखिल होने की इबारत पत्रावली दाखिल दफ्तर होने की अंतिम लाइन के बाद जोड़ी गई है दूसरे सरपंच के मोहर भी लगा दी गई थी जिसको भी काटकर पुनः इस इबारत के नीचे दोबारा सील लगाकर सरपंच के हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीपाल का शपथ पत्र ही दिनांक 1 दिसंबर 2009 के बाद का है. क्योंकि इस शपथ पत्र का स्टांप पेपर विक्रय की दिनाक 01 दिसम्बर 2009 की है। संजू देवी ने प्रार्थना पत्र में पट्टा पूर्व निर्मित मकान का मांगा था जबकि ग्राम पंचायत ने संजू देवी के नाम ग्राम पंचायत की पड़त भूमि का भी पट्टा दे दिया। निगरानीकार के पिता श्री ओंकारमल को जब नारायण औंकार की पुरानी हवेली व वर्तमान निगरानीधीन संजू देवी के पट्टे की पश्चिम साइड भूमि का पट्टा दिया गया था तब उस पट्टे नक्शे की भूमि को 1972 में ग्राम पंचायत द्वारा पड़त भूमि दर्शाया गया है। तत्कालीन समय में पट्टा संख्या– 33 एवं पट्टा संख्या– 32 जारी हुए हैं, उनके आवंटन पत्रों के साथ संलग्न किये गये नक्शों में सरकारी चौक व आम रास्ते की भूमि को चबूतरे की भूमि भी बता कर शामिल किया गया था, लेकिन मौके पर कोई चबूतरे नहीं थे इसलिए ग्राम पंचायत ने मौके पर चबूतरा नहीं होने से दोनों पट्टों के प्रार्थीगण को सरकारी चौक व आम रास्ते की भूमि का पट्टा नहीं दिया गया था। आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनियां को पेश किया गया जिस पर रसीद सं. 76/46 दिनांक 22.09.2008 के अनुसार 60 रू. जमा होना अंकित है, परन्तु कार्यवाही लगभग 11 माह बाद दिनांक 20.08.2009 से शुरू हुई। सरवर्क में दर्ज विवरण अनुसार दायर दिनांक 20-08-2009 को जबकि फैसला फार्म में ग्रा. पं का निर्णय दिनाक 20-10-2009 अंकित है जो विरोधाभासी है। संजू देवी पत्नी श्री मनीष कुमार के सरपंच, ग्राम पंचायत, हिंगोनियों को दिनांक 22.09.2008 को प्रस्तुत पट्टा बाबत आवेदन पत्र में अपने पड़ दादाजी श्री नारायण लाल जी पुत्र श्री केसर लाल जी के समय से पूर्व

, जिला [illegible] ... ) जयपुर

निर्मित हवेली का ही पट्टा मांगा गया था जबकि संलग्न किये गये नक्शे में अंकित भूमि ग्राम पंचायत की पड़त भूमि थी। नियमों के प्रावधानों के अनुसार दो टुकडे करके दो पट्टे जारी करवाना नियम विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत को राजस्व हानि भी पहुंचाई गई है। पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट में पंचों ने स्वयं का कोई नक्शा नहीं बनाया, जिससे मौके की सही नाप जोक नहीं आ सकी। लेकिन चबूतरे दर्शाई गई भूमि जो सरकारी चौक व आम रास्ते की थी, का पट्टा जारी नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई है। लेकिन गैर निगरानीकार पक्ष द्वारा मिलीभगत करके नियुक्त पंचायत आदेश के विरुद्ध जाकर अपने हितबद्ध और मिलने वाले लोगों से मौका रिपोर्ट कराई गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा तय पंचगण मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर वाले पंचगण नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 6 पंचगण को मौका कमीशन रिपोर्ट देने हेतु बनाया गया था जबकि उक्त मौका कमीशन में तय किये गये पंचगणों में से केवल दो के ही हस्ताक्षर हैं और श्री गोमा राम नये पंच के हस्ताक्षर है जो पंचायत के आदेश से भिन्न पंच के रूप में किये हुए हैं। उक्त कार्यवाही का ग्राम पंचायत की बैठक में बाद में भी कभी भी अनुमोदन नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम, कोई दिनांक व समय, मौका मुआयना करने वाले किसी भी पंच का नाम आदि अंकित नहीं है और बी.डी.ओ. का नाम, तिथि व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि की बिक्री पंचायत द्वारा करने अथवा नहीं करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं है। आपत्ति नोटिस पर कोई क्रमाक अंकित नहीं है। उक्त पट्टे के संदर्भ में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच दल एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश दिनांक 22-02-2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त करने के आदेश जारी किये हुए हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में लेजिसलेसन ने मियाद का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अतः पट्टा संख्या 33 दिनांक 20.10.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. Civil Writ Petition No. 1688/83 चिमन लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टें से संबन्धित मिसल आवेदन दिनांक 22.08.2009 को प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा पत्रावली कायम कर आदेशिका लिखी गई। उक्त दिनांक को पट्टा जारी करना अंकित है तथा फैसला दिनांक पट्टा जारी करने के बाद दिनांक 20.10.2009 अंकित है। पट्टा दिनांक 20.07.2009 को जारी किया गया, फैसला दिनांक 20.10.2009 को किया गया जबकि राशि रसीद संख्या 98 दिनांक 15.12.2009 दर्ज है। निरीक्षक रिपोर्ट एवं नोटिस मय क्रमांक एवं दिनांक अंकित नहीं है। आक्षेप नोटिस के जारी होने की दिनांक 28.08.2009 है जबकि पट्टा दिनांक 20.08.2009 को ही जारी किया चुका था। मिसल में अंकित आदेशिका दिनांक 25.08.2009 में अग्रिम बैठक पूर्व वर्ष दिनांक 20.10.2008 अंकित है। पट्टे के संबंध में शिकायत शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतराज विभाग की जॉच में जांच दल द्वारा निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने हेतु लिखा गया। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमावें जावें।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी

मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने जांच प्रतिवेदन में लिखा है कि श्री रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। 15 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल का कब्जा ना हो तथा ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि पूर्व में निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टे की भूमि पर पिछले 500 वर्षों से पूर्वजों की आवासीय पैतृक हवेली बनी हुई है। जिसमें विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत्त होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। साथ ही अवैध एवं शून्य आदेशों पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं है। तदानुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को कण्डोन किये जाने योग्य है।

हस्तगत निगरानीयां ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध विचाराधीन है। मूल पट्टा पत्रावली में निगरानीधीन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 22/09/2008 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया किन्तु पट्टा कार्यवाही लगभग 11 माह बाद दिनांक 20/08/2009 को से प्रारम्भ हुई। आवेदन प्राप्त होने के 11 माह बाद कार्यवाही प्रारम्भ होना संदेहास्पद है। पटटें में फैसला दिनांक 20.08.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 4(4) अंकित है जबकि फैसला फॉर्म में दिनांक 20.10.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 7 अंकित है, जो विरोधाभासी एवं विधिविरुद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री रामचन्द्र कुमावत उप सरपंच, विष्णु कुमार शर्मा पंच, श्रीनारायण शर्मा पंच एवं श्री बुन्दु खां पंच को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया था जिनमें से मौका रिपोर्ट पर नियुक्तशुदा पंचगणों में से केवल 2 पंचगणों श्री नारायण शर्मा एवं बुन्दु खां के ही हस्ताक्षर है तथा एक अन्य पंच गोमाराम के हस्ताक्षर है, जो नियुक्त नही था। रिपोर्ट केवल छपा हुआ निर्धारित प्रपत्र है, जिसमें मौके की रिपोर्ट भी नही है। अतः मौका रिपोर्ट भी संदिग्ध प्रतीत होती है। आपत्ति नोटिस में भी क्रमांक अंकित नहीं है तथा दिनांक पर भी ओवर राइटिंग की गई है। अर्थात नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी ही नहीं किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1956 की धारा 148 का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टा पत्रावली के फैसला फॉर्म पर कार्यवाही विवरण के अन्त में पत्रावली दफ्तर दाखिल होना अंकित है। तत्पश्चात "प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र देय आधार पर अपना स्वयं का मालिकाना शपथ पत्र पेश किया। अगर परिवार का कोई भी हकदार है तो भूखण्ड के हिस्से पर हकदार रहेगा।" उक्त का अंकन भी भिन्न स्याही से किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर दफ्तर दाखिल किए जाने के पश्चात उक्त तथ्य जोडा गया है। मिसल में आदेशिका दिनांक 25.08.2009 को काटकर दोबारा तारीख तारीख 25.08.2009 अंकित की गई है। उक्त आदेश में अग्रिम बैठक पूर्व वर्ष दिनांक 20.10.2008 अंकित होना भी संदेहास्पद है तथा मूल पट्टे के पीछे जो नक्शा

जिला कलक्टर

अंकित है, उसमें सबंधित भूमि से लगते हुए जो भूमि किस्म दर्शायी गयी है, उसमें कांटछाट की गई है जो संदेहास्पद है। पटटे के अन्त में अंकन भी बाद में किया हुआ प्रतीत होता है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा नियमानुसार एवं विधि सम्मत जारी नहीं किया गया है। पंचायत की मूल पत्रावली के संलग्न नक्शे के ब्लू प्रिंट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से लगते हुए भूमि के संदर्भ में श्री मनीष कुमार अग्रवाल के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सख्या 32 माप 182 वर्गगज दिनांक 22.09.2008 जिसमें जारी दिनांक 20.08.2009 अंकित है। संजू देवी जो मनीष कुमार अग्रवाल की पत्नी है, पट्टा सख्या 33 दिनांक 20.08.2009 माप 182 वर्गगज भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टा पत्नी के नाम जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम में आवासीय पट्टा 300 वर्गगज से अधिक भूमि का जारी नहीं किया जा सकता। इसी कारण अनुचित लाभ पहुचाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे पृथक–पृथक समय टुकडो में जारी किये गये हैं। निगरानीधीन पट्टे हेतु गैरगिनरानीकार संख्या 1 श्रीमती संजू देवी अग्रवाल दिनांक 22.09.2008 को आवेदन किया गया तथा उक्त भूमि को पैतृक बताकर पट्टा चाहा गया जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती संजू देवी स्वंय श्रीपाल अग्रवाल की पुत्रवुध है। जिसका अंकन संजू देवी ने अपने आवेदन पत्र में भी किया है। अतः श्रीपाल अग्रवाल के मकान के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत हिगोनिया को वारिसान की पूर्ण जॉच पश्चात् योग्य वारिस को ही पट्टा दिया जाना विधि अनुरूप था, पुत्रवुध को दिया जाना न्यायोचित नही था। जबकि वरक्त आवेदन श्रीपाल अग्रवाल जीवित थे। निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 में कुछ निर्मित भाग तथा शेष खाली भूमि का पट्टा दिया गया है, जिनमें से निर्मित भाग पट्टा संख्या 32 में निर्मित भवन का ही भाग है, जो संलग्नित नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है। खाली भूमि के स्वामित्व का तथ्य स्पष्ट नही है तथा पट्टा संख्या 32 का निर्मित भाग, जो 300 वर्गगज की निर्धारित सीमा से अधिक है, का पट्टा जारी करवाने के लिए दो टुकडों में आवेदन किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध उक्त भूमि का स्वामित्व नहीं जॉचा गया। विकास अधिकारी की जॉच रिपोर्ट तथा औंकारमल के पट्टे में संलग्न नक्शें अनुसार उक्त भूमि पंचायत की है, जिसमें पट्टा दिया जाना पंचायती राज नियमों के विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किये ही निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया। साथ ही पट्टा सरवर्क आज्ञा में दिनांक में कांट–छांट की गई है, इस प्रकार पट्टाधारियों को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से अलग–अलग टुकडो में पट्टे किये गये है। जिससे सम्पूर्ण पट्टा कार्यवाही संदेहास्पद है और विधि सम्मत नहीं है। जांच रिपोर्ट में भी निगरानीधीन पट्टा नियम विरूद्ध पाया जाना जाहिर है। अतः निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1956 के नियमों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध जारी होने के कारण निरस्तनीय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 20/10/2009 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

**(कुन्तल विश्नोई)**
**अति. जिला कलक्टर एवं**
**जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)**
**जयपुर**